# न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः 178/2019 (जीसीएमएस 2019/00111)

1. नानूराम पुत्र सेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम तिबारिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

-----अपीलार्थी

बनाम

1. सुखदेव पुत्र चन्द्राराम,
2. गोपाल सिंह पुत्र चन्द्राराम समस्त जाति जाट निवासी कूच्यावास तन तिबारिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फुलेरा मु. सांभारलेक जिला जयपुर।
4. कज्जूराम पुत्र सेवाराम,
5. रामकुंवार पुत्र सेवाराम,
6. रामस्वरूप पुत्र सेवाराम सतस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिबारिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

---रेस्पोडेंटस

## निर्णय

दिनांक 10.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन बाबत् पत्थरगढी किये जाने हेतु यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि आराजी खाता संख्या 140 के खसरा नम्बर 124/1 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 124/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम तिबारिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 प्रार्थीगण की खातेदार आराजी के पड़ौसी खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 124/1 व 124/2 के पूर्वी सीमा के लगवा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 की खातेदारी की आराजीयात लगवा लगती है जिसका तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू.अ./18/5046 दिनांक 11.11.2018 के जरिये अपनी खातेदारी की आराजीयात का सीमाज्ञान पटवारी हल्का बस्सीनागा व गिरदावर हल्का से करवाया था जिस अनुसार अब पत्थरगढी करवाना चाहते हैं।

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये

P.T.O.

अप्रार्थीगण द्वारा 2 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 124/3 व 124/4 की भी पत्थरगढी जी जावें जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के खसरा नम्बरा 124/1 लगायत 124/4 की पत्थरगढी हो जिससे पक्षकारान् में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हों जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2019 को पारित किया है जो विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नहीं किया कि जो सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी आदेश जारी किया गया हैं उस पर अप्रार्थीगण के किसी भी प्रकार के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं, ना ही उक्त सीमाज्ञान अपीलान्ट की उपस्थिति में किया गया है, एवं उक्त सीमाज्ञान अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना किया गया है। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वो विधि विधान के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। उन्होने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त पत्थरगढी का आड में अपीलान्ट को उसकी भूमि से बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं, रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर नाजायज कब्जा करना बताया है जबकि कानूनन पत्थरगढी की आड़ में कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यदि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोड़ेन्ट की भूमि पर कब्जा किया हुआ है तो उसके लिए रेस्पोडेन्ट अलग से सक्षम न्यायालय में बेदखली का दावा प्रस्तुत कर सकता हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2019 पारित किया है जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर दिनांक 16.07.2019 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 124/1 व 124/2 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपील व अन्य काश्तकारान से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद होता रहा है जिससे परेशान होकर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आराजीयात का विधिवत सीमाज्ञान करवाया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही है क्योंकि प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकार अधिनियम में दिये गये है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पोडेन्ट की आराजी के अन्य पड़ौसी खातेदारों की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आराजी खसरा नम्बर 124/3 व 124/4 वाके ग्राम तिबारिया का भी सीमाज्ञान नियानुसार शुल्क जमा करके सीमाज्ञान किये जाने के भी आदेश पारित किये गये है जिससे अपीलान्ट्स व अन्य खातेदारों के किसी भी प्रकार के हक हकूक प्रभावित नही होते है। ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट्स आराजी खसरा नम्बरान 124/1 व 124/2 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रत्येंक खातेदार को अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान व प्रत्थरगढी ईत्यादि कराने के कानूनी अधिकार भू राजस्व अधिनियम में प्रदत्त किये गये है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में अन्य पडौसी खातेदारान की आराजी खसरा नम्बर 124/3 व 124/4 वाकै ग्राम तिबारिया का भी सीमाज्ञान नियमानुसार शुल्क जमा करके सीमाज्ञान किये जाने के आदेश भी दिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2019 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर